न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 170/2024

अपीलान्ट

1. गुदड़ राम पुत्र स्व श्री चुनीलाल जी,
जाति कुम्हार,
आयु 63 वर्ष,
निवासी ग्राम नान्दड़ा कल्लां
तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. सरकार जरिये पटवारी, नान्दड़ा कल्ला
2. तहसीलदार, जोधपुर।
3. रेंवत सिहं पुत्र श्री हनुमान सिंह
4. मंगल सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह
5. चन्दन सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह
6. अर्जुन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह
7. जब्बर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह
तमाम जातियान् रावणा राजपूत, निवासियान गोयलों की ढाणी, गांव नान्दड़ा कल्लां तहसील व जिला जोधपुर।
8 बगाराम पुत्र श्री मोटाराम
9. भानाराम पुत्र श्री कानाराम
10. मिश्रीलाल पुत्र श्री पेमाराम
तमान जातियान जाट, निवासियान् गोयलों की ढाणी, गांव नान्दड़ा कल्लां तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 23.08.2024 जो तहसीलदार जोधपुर ने मुकदमा नं. 03/2024 सरकार बनाम गुदड़राम में पारित किया।

उपस्थितिः- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल सिनवाड़िया उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश सोनी उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 07.03.2025

अपीलान्ट गुदड़राम पुत्र स्व.श्री चुनीलाल जाति कुम्हार उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम नान्दड़ा कल्लां तहसील व जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेसपोडेन्ट सरकार जरिये पटवारी नान्दड़ा कल्लां तहसील जोधपुर व अन्य के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा मुकदमा संख्या 03/2024 अनवान सरकार बनाम गुदड़राम निर्णय दिनांक 23.08.2024 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 ने उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण के समक्ष दिनांक 02.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम नान्दड़ा कल्ला से जालेली फौजदारान जाने वाली सड़क से खसरा न. 194 व 195 में जाने हेतु खसरा नं. 192 के दक्षिण माठ पर स्थित रास्ते को गुदड़ राम व उसके परिवार वालों द्वारा बंद करके कंटीली तारबंदी की गई को हटवाया जाकर आवागमन सुचारू करने का अनुतोष चाहा गया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर ने प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसी रोज प्रत्यर्थी संख्या 02 को जांच कर रास्ता खुलवाने के लिए प्रेषित किया जाने पर दिनांक 02.07.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 02 ने प्रत्यर्थी संख्या 01 को भेजकर प्रकरण में जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट अविलंब पेश करने का आदेश दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने दिनांक 02.07.2024 को बिना अपीलार्थी को सूचना दिये प्रत्यर्थीगण में से कुछ की उपस्थिति में व उसके नाजायज प्रभाव में आकर उसी रोज एक तथाकथित मौका फर्द बनाई जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि अपीलार्थी का मौके पर ही निवास है व उसी खसरे में मूंग व बाजरी की फसल

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned by CamScanner

बोई हुई है। इस मौका फर्द में पटवारी द्वारा प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 के नाजायज प्रभाव में आकर अपीलार्थी के खसरा नं. 192 में पूर्व में रास्ता चला होना व उसे अपीलार्थी द्वारा बंद करने, नान्दड़ा कल्ला से जालेली फौजदारान जाने वाली सड़क से प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 के निवास स्थान पर जाने का रास्ता तथाकथित रूप से अवरोध किये जाने तथा वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता पटवार मंडल, सोडेर की ढाणी से होते हुए जो भूखण्डों के रास्ते से होते हुए उपलब्ध है जो उनके आवागमन में 05-06 किलोमीटर लम्बा रास्ता हो गया है जिससे उनके बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होने का कथन किया गया है। इस पर प्रत्यर्थी संख्या 02 ने अपीलार्थी को एक नोटिस तारीख पेशी दिनांक 04.07.2024 को जारी कर उसे दिनांक 09.07.2024 को अपने समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी गई तब अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया व जवाब हेतु समय चाहने पर समय दिया जाकर पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 16.07.2024 को निश्चित की गई। दिनांक 15.07.2024 को अपीलार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के खेत खसरा न. 192 वाके ग्राम नान्दड़ा कल्लां, तहसील व जिला जोधपुर के दक्षिणी माठ पर खसरा न. 194 व 195 में जाने का ऐसा कोई रास्ता कभी अस्तित्व में नहीं था और न है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा मुकदमा संख्या 56/2024 गुदड़राम बनाम रेंवत सिंह वगैरह में दिनांक 11.07.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई कि अप्रार्थीगण जो वर्तमान में प्रत्यर्थीगण है, को पाबंद किया जाता है कि वे आगामी पेशी तक ग्राम नान्दड़ा कला के खसरा नं. 192 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 02 ने अधिवक्ता अपीलार्थी को यह कहा कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर द्वारा इस प्रकरण में स्थगन हैं, इसलिए उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार ही इस न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। चूंकि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 को तथाकथित अवरोध हटाने का कोई आदेश पारित नही किया गया, मात्र अपीलार्थी को तथाकथित रूप से अवरोध हटाने का आदेश दिया गया जिसकी कोई जानकारी अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को नहीं दी गई जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी हैं। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 02 के कार्यालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 को जारी एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसमे उसे आदेशित किया गया कि वे तथाकथित रास्ते को दिनांक 29.08.2024 से पूर्व स्वयं खुलवा कर आवागमन सुचारू कर देवें अन्यथा प्रशासन की मदद से उक्त रास्ते को खुलवा दिया जाएगा। उक्त नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थी संख्या 02 ने उसे बिना सुने व उसका पक्ष रखे बिना उसके खेत से तथाकथित रास्ता निकालने का आदेश पारित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गयी है:-

1. अपीलाधीन आदेश में प्रत्यर्थी संख्या 02 ने यह गलत रूप से अंकित किया है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया है जिसे शामिल मिसल किया गया, जबकि अपीलार्थी को जवाब, दस्तावेजात व अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश में भी वकील अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज नहीं है और न ही वकील अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी ने दिनांक 15.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में नियमित वाद(Regular Suit) पेश कर दिया गया है जिसमें स्थगन आदेश पारित हो गया है ऐसी सूरत में Summary Proceeding चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है इसलिए इस कार्यवाही को ड्रॉप करने की कृपा करावें। अपीलार्थी के इस प्रार्थना पत्र को कार्यवाही का जवाब नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 द्वारा पेश की गई शिकायत व पटवारी द्वारा दी गई मौका रिपोर्ट पर विस्तृत जवाब देना शेष था।
2. प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा मौका मुआयना करने से पूर्व अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को उपस्थित होने हेतु कोई सूचना नहीं दी गई तथा तथाकथित मौका मुआयना की कोई रिपोर्ट न तो बनाई गई और न ही पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी संख्या 02 ने अपीलाधीन आदेश में

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned by CamScanner

यह गलत लिखा है कि ग्राम नान्दड़ा कल्लां के खसरा संख्या 192 के दक्षिण पश्चिम कोने पर लोहे की जाली टुकड़े लगा कर बंद किया हुआ है तथा वर्तमान में किसी कोने में टीन शेड से कमरा जैसा जो हाल ही में बनाया है जबकि अपीलार्थी के खेत की चारों ओर माठ वनी हुई है और लोहे की जाली चारों और लगी हुई है जिसे प्रत्यर्थी संख्या 02 ने जाली के टुकड़े लगा कर बंद होने का गलत कथन किया है जबकि यह टीन शेड का कमरा पहले से ही बना हुआ है जो अपीलार्थी व उसके परिवार जनों के निवास में काम आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा अपीलार्थी को बिना सूचना के उनकी गैर हाजरी में मौका मुआयना किया गया है जबकि अपीलार्थी का निवास स्थान व उसकी खेती खसरा संख्या 192 में है जिसमें उसका परिवार सहित रहवास है इसलिए अगर प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा मौका मुआयना किया गया होता तो उसकी जानकारी अपीलार्थी को अवश्य होती तथा पत्रावली पर ऐसी कोई मौका मुआयना रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है।

3. फर्द मौका दिनांक 21.08.2024 में यह स्पष्ट अंकित है कि खसरा नं. 192 में पूरी बाजरी की फसल बोई हुई है व फसल खड़ी है तथा अपीलार्थी का परिवार निवास कर रहा है तो एक कृषक की खड़ी फसल नष्ट करने का व अपीलार्थी व उसके परिवार को निवास से वंचित करने की कोई कानून इजाजत नहीं देता है।
4. प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जो रिपोर्ट सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर के समक्ष पेश की गई, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 02 ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है में अपीलार्थी को उसका पक्ष रखने व दस्तावेजात पेश करने का अवसर दिया जाता तो अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में यह महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य रखता कि प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 को उनके खेत खसरा संख्या 194 व 195 और उनमें उनके मकानों में जाने के लिए पहले से ही तीन रास्ते मौके पर चालू हालत में मौजूद हैं जिससे वे आज तक आवागमन करते आ रहे हैं इसलिए अपीलार्थी के खेत में से चौथा रास्ता निकालने का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 द्वारा अपीलार्थी से चुनावी रंजिश रखने एवं अनावश्यक रूप से हैरान व परेशान करने के लिए यह झूठी कार्यवाही की गयी हैं।
5. अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र मौका फर्द दिनांक 02.07.2024 को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो मौका फर्द गलत व झूठे आधारों पर तैयार की गई है तथा खसरा संख्या 192 में तथाकथित रूप से रास्ता का कोई सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।
6. अपीलाधीन आदेश को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर के आदेश दिनांक 02.08.2024 को संशोधन करते हुए तथाकथित रास्ता खुलवाने का आदेश पारित करने का कथन किया गया है, जबकि उक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय में चुनौती दी हुई है।
7. अपीलाधीन आदेश में भू-अभिलेख निरीक्षक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जबकि मौका फर्द में भू-अभिलेख निरीक्षक, जोधपुर का मौके पर जाने का कोई उल्लेख भी अंकित नहीं है।
8. अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व साक्ष्य के यह मान लिया कि तथाकथित रास्ता वर्षों से चालू था जिससे खसरा नं. 194 व 195 में बसे 30-40 परिवार आवागमन करते थे जिनके लिए दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसे गुदड़राम द्वारा बन्द कर दिया गया। प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 में से मात्र रेंवत सिंह व बगाराम (प्रत्यर्थी संख्या 03 व 08) के दो परिवार ही रहते हैं जिनके लिए तीन रास्ते पहले से ही उपलब्ध है जिससे वे व उनका परिवार आवागमन आज दिन तक करते आ रहे है।
9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रत्यर्थीगण के कथनों के आधार पर यह मान लिया गया कि अपीलार्थी के खेत खसरा नं. 192 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में कोई रास्ता था। प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 ने एक धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर रखा है जिसमें स्पष्ट अभिवचन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नं. 192 के पश्चिम दिशा में आई हुई इस मुख्य डामर सड़क से होकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमियों खसरा नं. 194 व 195 में आते-जाते हैं तथा प्रार्थीगण की इन कृषि भूमियों में रहवासीय ढाणियां बनी हुई है तथा इसी रास्ते से रहवासीय ढाणियों में रहने वाले बच्चे मुख्य रोड़ पर बनी सरकारी स्कूल में आते जाते हैं। इस प्रकार स्वयं प्रत्यर्थीगण की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि उनके पास उनकी कृषि भूमि व रहवासीय ठावों में जाने के लिए पक्का रास्ता उपलब्ध है।
10. प्रत्यर्थी संख्या 02 ने अपीलाधीन आदेश में यह गलत अंकित किया है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 को आवागमन हेतु दूसरा नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 को पहले से ही तीन रास्ते उनकी कृषि भूमि व रहवासीय ठांव में आने के लिए उपलब्ध है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष गलत है।
11. अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर के आदेश दिनांक 02.08.2024 का हवाला दिया है जबकि उक्त आदेश में प्रत्यर्थी

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

संख्या 02 को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है तथा इसके अतिरिक्त न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर के आदेश दिनांक 02.08.2024 को अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है।

12 अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के यह मान लिया है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 को कोई सुखाचार प्राप्त है, जबकि अपीलार्थी को कोई सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2024 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 251 सरकार बनाम गुदड़राम में पारित आदेश दिनांक 23.08.2024 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल सिनवाड़िया ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2024 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 251 सरकार बनाम गुदड़राम में पारित आदेश दिनांक 23.08.2024 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश सोनी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम नान्दड़ा कलां के खेत खसरा संख्या 194 व 195 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 192 में से चले आ रहे सार्वजनिक चालू रास्ते का उपयोग तीन पीढ़ियों से किया जा रहा था किन्तु खसरा संख्या 192 के दक्षिण पश्चिम कोने पर नये टुकड़े व लोहे की जाली लगाकर खातेदार अपीलार्थी श्री गुदड़राम पुत्र श्री चुन्नीलाल द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया जिससे 40-50 घरों के आवागमन का रास्ता पूर्ण बन्द हो गया है। खसरा संख्या 194 व 195 में बसे 30-40 परिवार के लोग खसरा संख्या 192 में से रास्ते का आने जाने हेतु उपयोग करते थे। उक्त परिवारों के लोगो के लिए आने जाने हेतु कोई दूसरा नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसी रास्ते से उक्त परिवार के बच्चे भी स्कूल आते जाते है जिनका अब रास्ता 5-6 किलोमीटर लम्बा हो जाने एवं दूसरा नजदीकी कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः तहसीलदार, जोधपुर द्वारा खसरा संख्या 192 में से रास्ता खोलने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 251 के तहत प्रकरण संख्या 03/2024 अनवान सरकार बनाम गुदड़राम में पारित आदेश दिनांक 23.08.2024 सही व विधि सम्मत होने से उक्त आदेश को यथावत रखने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि प्रकरण में ग्राम नांदड़ा कलां के खेत खसरा संख्या 194 व 195 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 192 के खातेदार गुदड़राम पुत्र चुन्नीलाल द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर दिया जिससे 40-50 घरों के आवागमन का पूर्ण रास्ता बन्द हो गया इसलिए ग्राम नान्दड़ा कलां से जालेली फौजदारा जाने वाली सड़क से खसरा संख्या 194 व 195 में जाने हेतु खसरा संख्या 192 की दक्षिणी माठ पर स्थित रास्ते को आवागमन सुचारू करने हेतु खुलवाया जाने का तहसीलदार जोधपुर द्वारा मुकदमा संख्या 03/2024 अनवान सरकार बनाम गुदड़राम में दिनांक 23.08.2024 को आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के संबंध में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 02.07.2024 को अपीलार्थी को सूचना दिये बिना प्रत्यर्थीगण में से कुछ की उपस्थिति में मौका फर्द बनाई गई जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि अपीलार्थी मौके पर ही निवास करता है। उक्त मौका फर्द में पटवारी द्वारा अपीलार्थी के खसरा नं. 192 में से पूर्व में रास्ता चला होना व उसे अपीलार्थी द्वारा वंद करने, नान्दड़ा कल्ला से जालेली फौजदारान जाने वाली सड़क से प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 के निवास स्थान पर जाने का रास्ता तथाकथित रूप से अवरोध किये जाने तथा वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता पटवार मंडल, सोडेर की ढाणी से होते हुए जो भूखण्डों के रास्ते से होते हुए उपलब्ध है जो उनके आवागमन में 05-06 किलोमीटर लम्बा रास्ता हो गया है जिससे उनके

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner

बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होने का कथन किया गया है। जबकि प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से दिनांक 15.07.2024 को प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी के खेत खसरा न. 172 वाके ग्राम नान्दड़ा कल्लां, तहसील व जिला जोधपुर के दक्षिणी मात पर खसरा न. 174 व 175 में आने जाने का ऐसा कोई रास्ता कभी अस्तित्व में नहीं था और न है। इसके अलावा प्रत्यर्थी संख्या 3 से 10 ने उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रस्तुत किये अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह लिखा है कि उक्त रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता है लेकिन यह रास्ता सार्वजनिक रास्ते के रूप राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उनकी सुनवाई किये बिना मौका फर्द बनायी गयी है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा भी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा प्रत्यर्थीगण संख्या 03 से 10 को उनके खसरा संख्या 174 व 175 में और उनके मकानों में जाने के लिए पहले से ही वैकल्पिक रास्तों का उपयोग किया जा रहा है तथा उनके लिए पहले से ही तीन रास्ते मौके पर चालू हालात में मौजूद है जिसका वे आज तक उपयोग करते आ रहे है तो अपीलार्थी के खेत खसरा संख्या 172 में से रास्ता खोलने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा मुकदमा संख्या 03/2024 अनवान सरकार बनाम गुदड़राम निर्णय दिनांक 23.08.2024 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned by CamScanner